	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2025	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थी अधिवक्ता स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 के परिवार की संयुक्त खातेदार के खेत खसरा नम्बर 658 रकबा 36.8344 हैक्टेयर, मौजा–पांचला, पटवार मण्डल–सुन्दरा तह0 गडरारोड़ में प्रत्येक वादीगण का खातेदारी हिस्सा 1/12–1/12 (कुल हिस्सा 1/6) तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 18 का खातेदारी हिस्सा राजस्व रेकर्ड अनुसार आया हुआ है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त के काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त विद्यमान होने एवं मौके पर भौतिक रूप से काबिज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। विप्रार्थी संख्या 1 से 18 ने उक्त संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि का बिना विभाजन करवाये अन्य हस्तान्तरण करने का मानस बनाया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण ने विप्रार्थी संख्या 1 से 18 को उक्त संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि को विभाजित कर अन्य हस्तान्तरण करने का कहा तो विप्रार्थीगण ने मना कर दिया एवं मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया तथा प्रार्थीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त की सुधारी हुई उपजाउ भूमि अन्य क्रेतागण को बेचान कर उन्हें प्रार्थीगण की सुधारी हुई उपजाउ कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज करवाने की ऐलानियां धमकी दी। जिसका विप्रार्थी संख्या 1 से 18 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अगर विप्रार्थी संख्या 1 से 18 के विरूद्ध विवादित आराजी का बैचान तथा मौके पर नव निर्माण कार्य नही करने व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

इसके विपरित विप्रार्थी संख्या 1 से 18 के अधिवक्ता श्री भोपालसिंह भाटी ने अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दो[illegible] कथन किया कि विवादित आरजी में प्रार्थीगण द्वारा पेश एक [illegible] आदेश एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध [illegible] के निर्णय अनुसार निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही होने से खारि[illegible] किया जाता है तथा विवादग्रस्त आराजी में विप्रार्थीगण रेकर्डे खातेदार एवं मौके पर कब्जा काश्त होने की पुष्टी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के बजाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
गड़रारोड़

विप्रार्थीगण के पक्ष में होना साबित 'होता है। ऐसी स्थिति में यदि विप्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी में दर्ज वादग्रस्त आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित किया जाता है तो प्रार्थीगण की अपेक्षा विप्रार्थीगण संख्या 8 से 14 व 18 को अधिक एवं अपूरर्णीय क्षति होगी। इसलिए विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावें।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– विवादग्रस्त आराजी में विप्रार्थीगण रेकर्डे खातेदार एवं मौके पर कब्जा काश्त होने की पुष्टी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के बजाय विप्रार्थीगण के पक्ष में होना साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– वाद पत्र में वर्णित तथ्य एवं वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से ही समस्त सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के बजाय विप्रार्थीगण के पक्ष में होना साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति :– किसी सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि उपयोग व उपभोग से रोका नही जा सकता अगर उसको रोका जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के बजाय विप्रार्थीगण को होगी।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया साथ ही अधिवक्ताओ की बहस पर गम्भीरता से मनन करने के बाद न्यायालय इस निस्कर्ष पर पहुंचा कि विवादित वादग्रस्त आराजी में खंतौनी बन्दोबस्त ग्राम पांचला, पटवार मण्डल–सुन्दरा तह0 गडरारोड़ में सवंत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 58 मे अंकित खसरा नम्बर नम्बर 658 रकबा 36.834 हैक्टेयर भूमि की जमाबंदी में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण सह खातेदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष मे न तो प्रथम दृष्टया मामला पाया गया तथा न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतित होता है तथा न ही किसी सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि उपयोग व उपभोग से रोका नही जा सकता अगर उसको रोका जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के बजाय विप्रार्थीगण को होगी। लिहाजा दिनांक प्रार्थीगण के पक्ष एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व जारी स्थगन आदेश दि. 05.06.2024 को एक पक्षीय जारी किया गया था। जिसे आगे बढाया जाना उचित प्रतित नही होने [illegible] के पक्ष में जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 05.06.2024 को [illegible] किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:55 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 08.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
गडरारोड़